न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 234/2019

GCMS NO. : *2019/00289*

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादीगण:–**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. श्रीसीमेन्ट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) जरिये श्री संजय भण्डारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी जाति–भण्डारी (जैन) निवासी हाल अतिरिक्त महाप्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) श्री सीमेन्ट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) रास तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।	बनाम	1. रमेश पुत्र श्री धोकल जी 2. नैना पुत्र श्री धोकल जी 3. रमजान पुत्र श्री धोकल जी 4. जमीला पुत्री श्री धोकल जी 5. नूरी पुत्नी श्री धोकल जी जातियान–मेहरात निवासीगण–भीवगढ़ तहसील–जैतारण जिला–पाली। 6. श्रीमान तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय जैतारण जिला–पाली राज0।

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,</u>

<u>तारीख रजूः. 16/12/2019</u>

उपस्थितः–

1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनॉक :– 02/11/2020</u>**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्रीसीमेन्ट लिमिटेड ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट श्रीसीमेन्ट प्रोजेक्ट रास के नाम से सरहद मौजा रास तहसील जैतारण मे स्थापित है, कार्यरत है व उत्पादनरत है। उक्त श्रीसीमेन्ट लिमिटेड रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधीनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रुप मे पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक कार्यो के लिये बतौर .अतिरिक्त महाप्रबन्धक श्री संजय भण्डारी नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिये घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का यंह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतू अधिकृत है व वादपत्र पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक भाग माना जावें। .

सरहद मौजा भीवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की सीमा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1899 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम ख0 नं0 2163 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.11.12 12:25:23 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार नूरा पुत्र हजारी कौम मेहरात निवासी भीवगढ थे जिनका हक हिस्सा व अधिकार उक्त कृषि भूमि मे 3/40 वां यानि 3.0525 बीघा था। उक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि को आगे वादपत्र मे विवादित आराजी के नाम विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

विवादित आराजी के खातेदार नूरा पुत्र हजारी का देहान्त हो गया तथा उक्त नूरा नाऔलाद अविवाहित फौत होने से उसके एक मात्र उत्तराधिकारी एवं वारिस उसके सगे भाई धोकल पुत्र हजारी के नाम जरिये म्युटेशन संख्या 732 दिनांक 05 अक्टूम्बर 2009 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे बतौर खातेदार इन्द्राज किया गया। उक्त म्युटेशन की प्रमाणित प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है।।

विवादित आराजी के तत्कालीन खातेदार काश्तकार धोकल पुत्र हजारी को खर्च खानदान तथा अन्य पारिवारिक जरूरीयात की पूति के लिये रकम की आवश्यकता होने पर वादी पक्ष को अपने हक अधिकार एवं खातेदारी की स्वयं की सम्पूर्ण हिस्सा 3/40 वां यानि 3.0525 बीघा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के प्रतिफल की राशि 1,37,252 अक्षरे एक लाख सैतीस हजार दो सौ बावन रूपये वादी पक्ष से रोकड प्राप्त कर दिनांक 10/11/2009 को हस्तान्तरण कर दी और मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। इस रजिस्टर्ड बेचान के आधार से वादी पक्ष के पक्ष मे म्युटेशन संख्या 741 के खातेदार इन्द्राज राजस्व विभाग द्वारा किया गया, तब से लेकर आज दिन तक वादी अपनी खरीद सुदा विवादित आराजी पर बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 10६11६2009 व म्युटेशन संख्या 741 की प्रमाणित प्रतिलिपियां इस वादपत्र के साथ पेश है।

विवादित आराजी तत्कालीन खातेदार धोकल पुत्र हजारी ने जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के वादी पक्ष को अपने हक हिस्से की भूमि को हस्तान्तरित कर दी एवं उसके आधार पर खरीददार वादी पक्ष के नाम म्युटेशन संख्या 741 के जरिये राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी इन्द्राज किया गया परन्तु राजस्व विभाग द्वारा बिना कोई आधार के एवं बिना सक्षम आदेश के सहवन से एवं भूल से पुनः धोकल पुत्र हजारी के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के नाम म्युटेशन संख्या 1673 दिनांक 05/11/2019 को स्वीकृत कर दिया गया जो कि कानून की निगाह मे एक रोंग एन्टी है एवं अवैध व खिलाफ कानून है तथा वादी पक्ष के विरुद्ध निष्प्रभावी है। इसलिए म्युटेशन संख्या 1673 को निरस्त करवाने व वादी पक्ष के नाम राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार इन्द्राज करवाने हेतू यह घोषणा का वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

दिनांक 10/11/2019 को प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच विवादित आराजी पर आये एवं वादी पक्ष के कर्मचारीयो को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त भूमि के हक खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकर्ड मे हमारा नाम दर्ज हो गया है इसलिए आप उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा आपको बेकाबिज कर विवादित आराजी को रहन बेचान हस्तान्तरण कर देगे यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त नापाक कृत्यो मे सफल हो जाते है एवं वादी पक्ष को उसके खातेदारी एवं कब्जे तथा उपयोग उपभोग की भूमि से बेदखल कर देते है एवं राजस्व रेकर्ड प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच का विधि विरुद्ध म्युटेशन संख्या 1673 ...

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.11.12 12:25:23
Reason: SelfAttested

गलत एवं अवैध इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है तो वादी पक्ष अपने खातेदारी हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे एवं वादी पक्ष प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कृत्यो का विरोध करेगा तो मौके पर वाद विवाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी तथा पेचीदगिया बढेगी इसलिए प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यो को रोकने के लिये वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या 6 तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का वादपत्र के साथ संलग्न है।

बिनाय वाद दिनांक 05/11/2019 को जब विवादित आराजी के राजस् रेकर्ड मे म्युटेशन संख्या 1673 प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के पक्ष मे विधिविरूद्ध पारित किया तथा दिनांक 10/11/2019 को प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच विवादित आराजी पर आकर वादी पक्ष को मौके से बेदखल करने एवं विवादित आराजी को अन्य किसी को बैचान हस्तान्तरण आदि करने की ऐलानिया धमकी देने पर लगातार बमुकाम भीमगढ तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में शहादत के साक्ष्य शपथपत्र वादी पीडब्यलू–1 पेश किए, सामिल मिसल है।

हमनें विद्धान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी और उस पर मनन किया तथा पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अवलंबन लिया। प्रदर्श–P-2, पंजीकृत बैचाननामा दिनाँक 10.11.2009 के अनुसार खातेदार धोकल पुत्र हजारी जो कि प्रतिवादीगण के पिता एवं पति है, ने वादग्रस्त आराजी ग्राम भींवगढ़ तहसील–जैतारण, जिला– पाली के खाता संख्या 75 की खसरा संख्या 1899 रकबा 20–15 बीघा व खसरा संख्या 2163 रकबा 19–19 बीघा कुल रकबा 40–14 बीघा में से खातेदार विक्रेता का हिस्सा 3/10 का 1/2 का 1/2 यानी कुल भूमि में से 3/40 सम्पूर्ण हिस्सा मैसर्स श्री सीमेन्ट (रास प्रोजेक्ट) को जरिए पंजीबद्ध बैचाननामा से विक्रय कर दी थी। प्रदर्श–P-2, नामांतरण पंजिका ग्राम– भींवगढ़, तहसील– जैतारण की नामांतरण प्रविष्टि संख्या 241 दिनाँक 20.11.2009 को वादग्रस्त आराजी में से विक्रेता धोकल को सम्पूर्ण हिस्सों क्रेता वादी के नाम दर्ज किया गया तथा प्रदर्श–P-5, जमाबंदी संवत् 2064–2067 ग्राम- भींवगढ़ तहसील-

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.11.12 12:25:23
Reason: SelfAttested

जैतारण के अनुसार उपर्युक्त नामांतरण की जमाबंदी में अमल-दरामद किया गया। प्रदर्श-P-6, एवं प्रदर्श-P-7, क्रमशः सम्वत् 2068-2071, ग्राम- भींवगढ़, खसरा संख्या- 1899 एवं 2163 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता धोकल का नाम पुनः बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है, जबकि पूर्व जमाबंदी में बैचान में आधार पर स्वीकृत नामांतरण संख्या 741 की पालना में धोकल का नाम विलोपित किया जा चुका था। प्रदर्श-P-8, जमाबंदी ग्राम- भींवगढ़, सम्वंत् 2072-2075 की प्रविष्टि के अनुसार खसरा संख्या 1899 व 2163 में नामांतरण संख्या 1673 दिनाँक 05.11.2019 विरासत से धोकल पुत्र हजारी के स्थान पर रमेश, नेना, रमजान पिता धोकल ज़मीला पुत्री धोकल व नूरी पत्नी धोकल दर्ज किया गया। प्रदर्श-P-4, नामांतरण पंजिका ग्राम- भींवगढ़ की प्रविष्टि संख्या 1673 दिनाँक 05.11.2019 के अनुसार खसरा संख्या 2163-1899 में खातेदार धोकल पुत्र हजारी के फौत होनें से उसके वारिसान जो कि वाद-पत्र में प्रतिवादीगण है कि नाम नामांतरण स्वीकृत गया। प्रदर्श-P-9, जमाबन्दी ग्राम- भींवगढ़, सम्वंत् 2072-2075 के अनुसार नामांतरण संख्या 1671 दिनांक 19.11.2019 द्वारा खसरा संख्या 2163, 19-19 बीघा का खातेदारान के मध्य विभाजन हो चुका है तथा वर्तमान में खसरा संख्या 2163 का रकबा 08-10 बीघा है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1-5 सहखातेदार के रूप में दर्ज है, जिसमें पंजीयन दस्तावेज के अनुसार प्रतिवादीगण का हिस्सा 3/40 है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2163 व 1899 ग्राम- भींवगढ़ के खातेदार धोकल पुत्र हजारी के अपना सम्पूर्ण हक-हिस्सा अर्थात 3/40 भाग पंजीकृत बैचाननामा दिनाँक 10.11.2009 द्वारा क्रेता वादी को बैचान कर हस्तांतरित कर दिया गया था तथा इस आधार पर नामांतरण संख्या 741 क्रेता के पक्ष में स्वीकृत होकर जमाबंदी में विक्रेता का नाम विलोपित होकर क्रेता का नाम दर्ज हो चुका था, परंतु आगामी जमाबंदी में विक्रेता खातेदार धोकल का नाम पुनः दर्ज कर दिया गया, जो पूर्णतया विधि-विरूद्ध है, तत्पश्चात् धोकल के फौत हो जानें पर नामांतरण संख्या 1673 स्वीकृत करके धोकल के वारिसान जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है, का नाम दर्ज कर दिया गया यह भी पूर्णतया विधि-विरुद्ध है तथा इनका नाम अधिकार अभिलेख से विलोपित करके इनके स्थान पर धोकल के सम्पूर्ण 3/40 हिस्से के क्रेता एवं वादी मैसर्स सीमेन्ट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) बांगड़ नगर, अंधेरी देवरी, तहसील- मसूदा (अजमेर) का नाम दर्ज कर खातेदार घोषित करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादवादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं [illegible] होनें से स्वीकार कर विरुद्ध प्रतिवादीगण एवं वादी के पक्ष में डिक्री किया [illegible] है। ग्राम- भींवगढ़, तहसील- जैतारण, जिला- पाली के खसरा संख्या 2163 वर्तमान रकबा 08-10 बीघा और खसरा संख्या 1899 रकबा 20-15 बीघा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar I
Date: 2020.11.12 12:25:23 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

से बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादीगण रमेश, नेना, रमजान पिता धोकल, जमीला पुत्री धोकल और नूरी पत्नी धोकल जिनका का नाम अधिकार भू अभिलेख से विलोपित करते हुए इनके स्थान पर इनके हक-हिस्से तक वादी एवं क्रेता मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट), बाँगर नगर, अंधेरी देवरी, तहसील- मसूदा (अजमेर) को खातेदार घोषित किया जाता है। भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल-दरामद किया जावें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा पत्रावली इसी क़दर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 02/11/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:25:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण :- **बनाम** **-: प्रतिवादीगणः-**

1. श्रीसीमेन्ट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) जरिये श्री संजय भण्डारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी
   जाति-भण्डारी (जैन)
   निवासी हाल अतिरिक्त महाप्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) श्री सीमेन्ट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।

1. रमेश पुत्र श्री धोकल जी
2. नैना पुत्र श्री धोकल जी
3. रमजान पुत्र श्री धोकल जी
4. जमीला पुत्री श्री धोकल जी
5. नूरी पत्नी श्री धोकल जी
   जातियान-मेहरात
   निवासीगण-भीवगढ़ तहसील-जैतारण जिला-पाली।
6. श्रीमान तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय जैतारण जिला-पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई **मु0न0 :रा0वा0 स0: 234/2019**
निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार कर विरुद्ध प्रतिवादीगण एवं वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है। ग्राम-भींवगढ़, तहसील- जैतारण, जिला- पाली के खसरा संख्या 2163, वर्तमान रकबा 08-10 बीघा और खसरा संख्या 1899 रकबा 20-15 बीघा में से बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादीगण रमेश, नेना, रमजान पिता धोकल, जमीला पुत्री धोकल और नूरी पत्नी धोकल जिनका का नाम अधिकार भू अभिलेख से विलोपित करते हुए इनके स्थान पर इनके हक-हिस्से तक वादी एवं क्रेता मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट), बाँगर नगर, अंधेरी देवरी, तहसील- मसूदा (अजमेर) को खातेदार घोषित किया जाता है। भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल-दरामद किया जावें। पत्रावली इसी क़दर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/11/2020 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.12 12:25:23 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		—	महनताना वकील		
महनताना वकील	03	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		—	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		—	मुत्फरिक		
मिजानः-	08	00	मिजानः-	— Nil —	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.11.12 12:25:23 IST
Reason: SelfAttested